संख्या-3/**20/1/91**/का-2

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक : 19 नवम्बर, 2013

विषय :- भर्ती/ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-20/1/91/का-2-2012, दिनांक 15.03.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है।

2- गृह विभाग के अन्तर्गत कानून-व्यवस्था से जुड़े पदों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण पद भी अत्यधिक संख्या में रिक्त हैं, जिन्हें शीघ्र भरा जाना आवश्यक है।

3- उक्त तथ्य के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त गृह विभाग (पुलिस/ अग्निशमन) के अन्तर्गत आने वाले समस्त पदों को भर्ती पर प्रतिबन्ध विषयक शासनादेश दिनांक 15.03.2012 से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

ह./-

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in